उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट पिटीशन (एम/एस) नम्बर 805 वर्ष 2017

1. जोनल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, लिंक हाउस, प्रैस एरिया, 3 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

2. रीजनल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एस्ले हॉल ब्रांच, फस्ट फ्लोर, राजपुर रोड देहरादून, उत्तराखण्ड।

3. चीफ मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एस्ले हॉल ब्रांच, फस्ट फ्लोर, राजपुर रोड देहरादून, उत्तराखण्ड।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

हरीश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री देवकी नन्दन अग्रवाल, निवासी के0ई0–94 कावेरी कुन्ज, फेज–1, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।

.... प्रतिवादी

उपस्थित–

श्री महेश चन्द्र पन्त, याचीगण के अधिवक्ता।

श्री अजयवीर पुण्डीर, प्रतिवादी के अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय लोक पाल सिंह, जज

वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतें मांगी हैं: -

(i) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नियंत्रण प्राधिकरण की अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14/22.08.2014 को रद्द करने/रद्द करने के लिए एक उपयुक्त नियम, आदेश या निर्देश जारी करें। /सहायता श्रम आयुक्त (जोनल) देहरादून, उत्तराखंड प्रकरण संख्या. डी-36 (01) 2013-

एएलसी का शीर्षक हरेश चंद्र अग्रवाल बनाम जोनल है प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (रिट याचिका का अनुलग्नक क्रमांक 1)।

(ii) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972/डिप्टी के तहत अपीलीय अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 18/25.01.2017 को रद्द करने/रद्द करने के लिए एक उपयुक्त नियम, आदेश या निर्देश जारी करें। मुख्य श्रम आयुक्त (नि.), देहरादून, उत्तराखंड प्रथम अपील संख्या एफ. संख्या-डी 36(04)/2014/उप. सीएलसी का शीर्षक जोनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम हरेश चंद्र अग्रवाल और दूसरी अपील में डी-36 (08)/2014/उप. सीएलसी का शीर्षक हरेश चंद्र अग्रवाल बनाम जोनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (रिट याचिका का अनुबंध संख्या 2) है।

2. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि प्रतिवादी को शुरुआत में 28.04.1971 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क-कम-टाइपिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 1984 में सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, आगरा का महासचिव चुना गया जहां वे 27.09.2009 तक बने रहे। 01.08.1994 को, उन्हें स्केल-III में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया और बैंक की सिविल लाइंस, आगरा शाखा से आगरा कैंट में स्थानांतरित कर दिया गया। शाखा। इसके बाद दिनांक 14.10.2006 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को बैंक की देहरादून शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रतिवादी ने दिनांक 01.07.2019 से छुट्टी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। संगठनात्मक कार्य के लिए 23.10.2006 से 31.10.2006 तक और पुनः दिनांक 01.01. से। बीमारी के आधार पर 01.11.2006 से 11.11.2006 तक, जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव में मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। दिनांकित पत्र देखें 07.11.2006, प्रतिवादी को आगरा कैंट से कार्यमुक्त कर दिया

गया। शाखा और देहरादून शाखा में रिपोर्ट करने की सलाह दी गई। इसके बाद, प्रतिवादी को 27.12.2006 को नौ आरोपों के लिए आरोप-पत्र दिया गया, जिसके तहत प्रतिवादी के खिलाफ कदाचार और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए। विभागीय कार्यवाही में, प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित हुए, और परिणामस्वरूप, उसे 1.1.2019 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 20.08.2007. सजा आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे दिनांक 24.10.2008 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। व्यथित होकर, प्रतिवादी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियम 18 के तहत मामले की समीक्षा को प्राथमिकता दी, लेकिन सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ बैंक प्रबंधन द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2014 की डब्ल्यूपीएसबी संख्या 94 वाली एक रिट याचिका दायर की। इसके बाद, पत्र दिनांक 31.07.2008 के माध्यम से, बैंक प्रबंधन ने अव्यवस्थित आचरण और अनुचित व्यवहार के कारण प्रतिवादी को देय 3,50,000/- रुपये की ग्रेच्युटी राशि जब्त करने का निर्देश दिया। ग्रेच्युटी जब्त करने के खिलाफ प्रतिवादी ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। इसके बाद, प्रतिवादी ने ग्रेच्युटी भुगतान (केंद्रीय) के नियम 10 के उप-नियम (1) के तहत फॉर्म एन में आवेदन दायर किया। नियम 1972 में भुगतान में देरी के लिए ब्याज सहित ग्रेच्युटी की देय राशि के भुगतान के लिए नियंत्रण प्राधिकारी से निर्देश मांगा गया है। नियंत्रण प्राधिकारी ने, आक्षेपित निर्णय और आदेश के तहत, प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता बैंक को भुगतान करने के लिए एक नोटिस जारी किया। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत, याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी की राशि के रूप में 5,46,807/- रुपये और ब्याज राशि के रूप में 1,86,893/- रुपये, कुल मिलाकर 7,33,700/- रुपये दिए गए। 1972 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता बैंक ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की।

प्रतिवादी ने बढ़ी हुई दर पर ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए भी अपील की। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 18/25.01.2017 के फैसले और आदेश के तहत, दोनों अपीलों का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया कि प्रतिवादी 5,92,861/- की ग्रेच्युटी राशि के साथ-साथ 3,24,206/- की ब्याज राशि का हकदार है- कुल 9,17,067/-,

3. याचिकाकर्ता बैंक का मामला यह है कि विभागीय जांच में उसके प्रमाणित अव्यवस्थित आचरण और अनुचित व्यवहार के कारण प्रतिवादी की ग्रेच्युटी जब्त कर ली गई थी; इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा उठाया गया दावा बाद में समय से बाधित हो गया है और अधिकारियों ने कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ विवादित आदेश पारित कर दिया है। याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार, प्रतिवादी, यदि अन्यथा पात्र है, तो अधिकतम 3.50 लाख रुपये की अधिकतम ग्रेच्युटी राशि बिना किसी ब्याज के प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि लागू होने पर अपनी ग्रेच्युटी राशि का दावा करने में देरी प्रतिवादी द्वारा स्वयं की गई थी।

4. प्रतिवादी द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि बैंक प्रबंधन ने पत्र संख्या एसएम/2008-09/78 दिनांक 31.07.2008 के माध्यम से प्रतिवादी की उपेक्षा और सकलता के कारण उसे देय ग्रेच्युटी को गैरकानूनी तरीके से जब्त कर लिया है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन। यह भी कहा गया है कि नीचे की दोनों अदालतों ने पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया है और अधिनियम के प्रावधानों विशेषकर धारा 4(5) पर विचार करने के बाद ब्याज की गणना करके ग्रेच्युटी की उचित राशि प्रदान की है।

5. याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में दिए गए कथनों को दोहराते हुए जवाबी हलफनामे में प्रत्युत्तर हलफनामा भी दायर किया गया है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया है।

7. याचिकाकर्ता बैंक के विद्वान वकील का कहना था कि चूंकि प्रतिवादी को कदाचार और अनुचित व्यवहार के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार नहीं है। अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए, वह वाई.पी. के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करेंगे। **साराभाई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य, (2006) 5 एससीसी 377** फैसले के पैराग्राफ-11 का उल्लेख करेंगे, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "11. हमने दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करने के आदेश के बावजूद, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को 4.9.1988 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के आदेश के मद्देनजर वह इन सभी वर्षों से बिना वेतन के है। अपीलकर्ता के अनुसार, उसकी पत्नी भी कैंसर से मर गया. यह स्थापित कानून है कि सेवा से बर्खास्त किया गया व्यक्ति केवल भविष्य निधि पाने का हकदार है, लेकिन ग्रेच्युटी का नहीं। मौजूदा मामले में. अपीलकर्ता को देय भविष्य निधि की कुल राशि रु. 3, 36, 158/- और ग्रेच्युटी रुपये आती है। 1, 49, 215/-. अपीलकर्ता रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। बैंक से उनके द्वारा लिए गए विभिन्न ऋणों के लिए बैंक को बकाया राशि 2,60,228/- है। इसलिए, रुपये की कटौती के बाद. भविष्य निधि की कुल राशि 3,36,158/- में से 2,60,228/- शेष राशि बनती है। 75,930/-. अपीलकर्ता अब 58 वर्ष की आयु पार कर चुका है और इस समय उसके लिए नई नौकरी पाना भी संभव नहीं है। इस मामले के सभी विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता

पर विचार करते हुए, हमें लगता है कि यदि हम बैंक को 1,50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जिसमें शेष भविष्य निधि रुपये शामिल है। बैंक को देय ऋण राशि को समायोजित करने के बाद 75,930/- रुपये मिलेंगे, जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता के पास इसके बाद बैंक के विरुद्ध कोई अन्य दावा नहीं होगा। लंबे समय से चली आ रही इस मुकदमेबाजी को शांत करने के लिए, हम बैंक को दोनों पक्षों के बीच सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए अपीलकर्ता को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,50,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। यदि भविष्य निधि के माध्यम से अपीलकर्ता को देय राशि और ऋण राशि के संबंध में कोई विसंगति है, तो अपीलकर्ता किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बैंक से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है और यदि अपीलकर्ता से ऐसा कोई पत्र प्राप्त होता है, तो बैंक इस पर विचार करें और यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस मुद्दे को उठाने में प्रतिवादी की ओर से भी अत्यधिक देरी हुई है। ग्रेच्युटी लेकिन नीचे के अधिकारियों ने मामले के इस प्रासंगिक पहलू को नजरअंदाज कर दिया है।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील का कहना था कि आरोपपत्र में किसी वित्तीय अनियमितता का कोई आरोप नहीं था और न ही ऐसा कोई आरोप है कि उसने किसी भी तरह से बैंक को नुकसान पहुंचाया, इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता के लिए उचित नहीं था। बैंक प्रतिवादी की ग्रेच्युटी जब्त कर ले

10. पक्षों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अधिकारियों द्वारा पारित किए गए आदेश

उचित हैं, जो प्रतिवादी को ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। उनकी सेवा से बर्खास्तगी.

11. ग्रेच्युटी भुगतान का प्रावधान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4 के तहत निहित है। 1972. धारा 4 (1) में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को कम से कम पांच साल तक निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद उसके रोजगार की समाप्ति पर ग्रेच्युटी देय होगी - (ए) उसकी सेवानिवृत्ति पर: (बी) उसकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर ; या (सी) दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या विकलांगता पर; जबकि उप खंड (6) उन शर्तों का वर्णन करता है जिनके तहत किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोकी या रोकी जा सकती है।

12. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4(6) नीचे उद्धृत की गई है। -

> "(6) उप- में किसी बात के होते हुए भी खंड 1)
>
> (ए) एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी, जिसकी सेवाएं किसी कार्य, जानबूझकर की गई चूक या लापरवाही के कारण समाप्त कर दी गई हैं, जिससे नियोक्ता की संपत्ति को कोई नुकसान या नुकसान हुआ है, क्षति या हानि की सीमा तक जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए कारण बना;
>
> (बी) किसी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है।
>
> (i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएँ उसके दंगाई या उच्छृंखल आचरण के लिए समाप्त कर दी गई हैं या उसकी ओर से हिंसा का कोई अन्य कार्य या

(ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे कार्य के लिए समाप्त कर दी गई हैं जो नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है, बशर्ते कि ऐसा अपराध उसके द्वारा अपने रोजगार के दौरान किया गया हो।

13. **बलबीर कौर और अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक अन्य [(2000) 6 एससीसी 493]** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार राय दी है:- "... जहां तक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों का संबंध है, यह अब दान के दायरे में नहीं है बल्कि कर्मचारी के पक्ष में प्रदान किया गया एक वैधानिक अधिकार..."

14. ग्रेच्युटी संबंधित विभाग में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत अर्जित की जाती है। अर्हक सेवा की लंबाई दावा करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी. मौजूदा मामले में, प्रतिवादी को 28.04.1971 को याचिकाकर्ता बैंक में क्लर्क-सह-टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था; 01.08.1994 को उन्हें वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया; और 20.08.2007 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस प्रकार, सेवा से बर्खास्तगी से पहले उन्होंने 35 वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान की थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, दुरुपयोग या बैंक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने का कोई आरोप नहीं है। प्रतिवादी को केवल सिद्ध कदाचार के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसमें कोई दंगाई व्यवहार या हिंसा का कोई कार्य शामिल नहीं है और न ही नैतिक अधमता का आरोप है। इन सभी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता बैंक के लिए प्रतिवादी की ग्रेच्युटी जब्त करना उचित नहीं था

15. जहां तक ग्रेच्युटी का दावा उठाने में देरी के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील का सवाल है, इस पहलू पर अधिकारियों द्वारा विस्तार से विचार किया गया है और सही ढंग से देखा गया

है कि गणना करना और बनाना मुख्य रूप से नियोक्ता का कर्तव्य है। कर्मचारी को ग्रेच्युटी की उचित देय राशि का भुगतान, और इस मामले में देरी याचिकाकर्ता बैंक के कारण ही हुई है।

16. वाई.पी. के केस-लॉ के संबंध में। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा साराभाई (सुप्रा) का हवाला दिया गया। उक्त निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग-अलग है और उसमें निर्धारित कानून का अनुपात याचिकाकर्ता के लिए कोई मददगार नहीं है।

17. उपरोक्त के आलोक में, मेरा मानना है कि नीचे दिए गए अधिकारियों ने याचिकाकर्ता बैंक को ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

18. अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार केवल एक अधीक्षण क्षेत्राधिकार है जब तक कि न्याय का गर्भपात न हो। सामान्यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। **राधे श्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य (2015) 5 एससीसी 423**, में माननीय शीर्षन्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

> "...अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कार्यवाही मूल नहीं है बल्कि केवल पर्यवेक्षी है। अनुच्छेद 227 भारत सरकार की धारा 107 के प्रावधानों को काफी हद तक पुन: पेश करता है अधिनियम 1915 सिवाय इसके कि अधीक्षण की शक्ति को इस अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरणों तक भी विस्तारित किया गया है। यद्यपि यह शक्ति अपील की एक सामान्य अदालत के समान है, फिर भी अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का उपयोग संयमित रूप से और केवल उचित मामलों में ही किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की

सीमा के भीतर रखने के उद्देश्य से, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए। इस शक्ति का प्रयोग गंभीर अन्याय या न्याय की विफलता वाले मामलों में किया जा सकता है, जैसे कि जब (i) न्यायालय या न्यायाधिकरण ने यह मान लिया हो वह क्षेत्राधिकार जो उसके पास नहीं है, (II) वह उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है जो उसके पास है, ऐसी विफलता न्याय की विफलता का कारण बनती है, और (iii) अधिकार क्षेत्र उपलब्ध होने के बावजूद है इस तरह से प्रयोग किया जा रहा है जो अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को लांघने के समान है।

19. मामले में, आक्षेपित आदेशों के पारित होने से न्याय की कोई हानि नहीं हुई है। इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और बर्खास्त की जाती है।

20. मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

<u>**(लोक पाल सिंह, जज)**</u>

25.01.2021